

प्रेषक

उमेश चन्द्र पाण्डे-II
विशेष न्यायाधीश (ई 0 सी 0 एक्ट),
बाराबंकी।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा- श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
बाराबंकी।

विषय-अचल सम्पत्ति क्रय किये जाने हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि मैं जनपद लखनऊ में आवासीय उद्देश्य से एक अचल सम्पत्ति जो लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा विकल्प खण्ड, गोमतीनगर योजना के नाम से विकसित भूखण्ड संख्या 3/438, क्षेत्रफल 230 वर्गमीटर है को उसके स्वामिनी श्रीमती अर्चना पत्नी श्री विनीत मित्तल, पुत्री श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता (एस 0 के 0 गुप्ता) निवासिनी 2/1 विशाल खण्ड गोमतीनगर लखनऊ से क्रय करना चाहता हूँ। उक्त भूखण्ड को श्रीमती अर्चना उपरोक्त मुझे रुपये 91,00,000/- में बिक्रय करने हेतु तैयार हैं। उक्त भूखण्ड संख्या 3/438, मूल रूप से अर्चना पुत्री श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता (एस 0 के 0 गुप्ता) निवासी गुरुद्वारा वाली गली, मसूदाबाद रोड, अलीगढ़, उ 0 प्र 0 के नाम लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा आवंटित था, जिनके पक्ष में लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित कर कब्जा प्रदान किया गया तथा वर्तमान में उक्त भूखण्ड पर श्रीमती अर्चना काबिज दखील स्वामिनी हैं। उक्त श्रीमती अर्चना, उनके पिता अथवा उनके पति मुझसे किसी प्रकार से सम्बन्धित नहीं हैं। मेरे द्वारा इनका अथवा इनसे संबंधित किसी व्यक्ति का कोई भी मुकदमा कभी भी निर्णीत नहीं किया गया है और न ही वर्तमान में मेरे न्यायालय में लम्बित है।

इस सम्बन्ध में सम्मानपूर्वक यह भी अवगत कराना है कि उक्त सम्पत्ति के सम्पूर्ण क्रय मूल्य रुपये 91,00,000/- में से बतौर अग्रिम रुपये 5,00,000/- जरिये चेक संख्या 529476 दिनांकित 11.11.2022 एवं रुपये 5,00,000/- जरिये आर 0 टी 0 जी 0 एस 0 यू 0 टी 0 आर 0 नम्बर एसबीआईएन 122319648493 अपने बचत खाता संख्या 30133172523 से दिनांक 15.11.2022 को (कुल रुपये 10,00,000/-) भूखण्ड स्वामिनी श्रीमती अर्चना को अदा कर चुका हूँ एवं भूखण्ड स्वामिनी श्रीमती अर्चना द्वारा मेरे पक्ष में उपरोक्त भूखण्ड के विक्रय हेतु विक्रय करारपत्र दिनांक 17.11.2022 को निष्पादित किया गया है जिसकी छाया प्रति अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न की जा रही है। शेष विक्रय प्रतिफल रुपये 81,00,000/- में से रुपये 68,00,000/- का भुगतान मैं भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा बाराबंकी से ऋण लेकर तथा शेष रुपये 13,00,000/- का भुगतान अपने पी 0 पी 0 एफ 0 खाता संख्या 10102212144 में जमा धनराशि से करूँगा।

इस सम्बन्ध में मैंने भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, बाराबंकी में ऋण हेतु आवेदन किया है जो प्रक्रिया के अधीन है जिसकी स्वीकृति होते ही सम्पूर्ण अवशेष प्रतिफल विक्रेता को अदा करके विक्रयपत्र मेरे पक्ष में निष्पादित होना है।

यह भी सम्मानपूर्वक निवेदन है कि मेरा वेतन अभी द्वितीय न्यायिक वेतन आयोग के आधार पर

निर्धारित है जबकि तृतीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर नया वेतनमान लागू होना है और वेतन वृद्धियां प्रस्तावित हैं जिसके लागू होते ही जनवरी 2016 से वेतन व भत्तों के एरियर का भुगतान भी निकट भविष्य में होना है। प्रार्थी एल 0 एल 0 एम 0 डिग्री धारक है जिसकी तीन अतिरिक्त अग्रिम वेतन वृद्धियां भी प्राप्त हो रही हैं तथा आवेदक द्वारा न्यायिक सेवा में प्रवेश की तिथि वर्ष 2003 से अब तक का एरियर भी मिल चुका है। अपने वर्धित मासिक वेतन के साथ मुझे अपने नियमित घरेलू खर्चों के साथ लिये गये बैंक ऋण को चुकाने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।

तदनुसार मैं उक्त अचल सम्पत्ति खरीदने की अनुमति के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र संख्या 25/एडमिन (ए) दि० 13.07.1998 के अनुरूप निर्धारित प्रारूप में आवेदनपत्र पूर्ण विवरण सहित माननीय न्यायालय की सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कर रहा हूँ कि कृपया इस आवेदनपत्र के परिप्रेक्ष्य में मुझे उक्त अचल सम्पत्ति को क्रय करने की अनुमति माननीय न्यायालय से प्रदान कराने की कृपा करें।

मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा।

सादर!

दिनांक 13.12.2022

भवदीय,

Umesh Chandie Pande

(उमेश चन्द्र पाण्डे-II)

विशेष न्यायाधीश (ई 0 सी 0 एक्ट)

बाराबंकी।

संलग्नक-

1. भूखण्ड स्वामिनी द्वारा प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित करारपत्र की छाया प्रति।
2. विक्रेता को अग्रिम के रूप में प्रदत्त धनराशि संबंधी चेक की छाया प्रति व आर 0 टी 0 जी 0 एस 0 की रसीद
3. पासबुक की अद्यतन छाया प्रतियां।